

न्यायालय, उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन भू अभिलेख अधिकारी, शाहपुरा
(जिला-भीलवाड़ा) राज0

पीठसीन अधिकारी : सुनील कुमार मीणा, आर0ए0एस0
राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या : 119/2024
जी0सी0एम0एस0 संख्या : 2024/169

- 1- अब्दुलकय्यूम पुत्र कालू फकीर निवासी हमालों का मोहल्ला, शाहपुरा जिला भीलवाड़ा
 - 2- अब्दुलहकीम पुत्र कालू फकीर निवासी हमालों का मोहल्ला, शाहपुरा जिला भीलवाड़ा
 - 3- मोहम्मद हनीफ पुत्र कालू फकीर निवासी हमालों का मोहल्ला, शाहपुरा जिला भीलवाड़ा
 - 4- शराफत अली पुत्र कालू फकीर निवासी हमालों का मोहल्ला, शाहपुरा जिला भीलवाड़ा
 - 5- शरीफ मोहम्मद पुत्र कालू फकीर निवासी हमालों का मोहल्ला, शाहपुरा जिला भीलवाड़ा
- प्रार्थीगण

बनाम

- 1- फकीर मोहम्मद देशवाली पुत्र शाहबुदीन देशवाली निवासी हमालों की मस्जिद के पास शाहपुरा जिला भीलवाड़ा
- 2- जैनब पत्नी अब्दुल रहमान देशवाली निवासी हमालों की मस्जिद के पास शाहपुरा जिला भीलवाड़ा
- 3- राजू पुत्र मदन लाल धाकड़ निवासी गोपालपुरा तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा
- 4- कृष्णगोपाल पुत्र मदन लाल धाकड़ निवासी गोपालपुरा तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा
- 5- खुर्शिद पुत्र पीरू हमाल निवासी हमालों का मोहल्ला शाहपुरा जिला भीलवाड़ा
- 6- सुखदेव पुत्र धन्ना माली निवासी रेगर बस्ती कलिंजरी गेट, शाहपुरा जिला भीलवाड़ा
- 7- शांती लाल पुत्र धन्ना माली निवासी रेगर बस्ती कलिंजरी गेट, शाहपुरा जिला भीलवाड़ा
- 8- तहसीलदार शाहपुरा जिला भीलवाड़ा

-विपक्षीगण

राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956

तारीख रजू : 01-05-2024


उपस्थित :-

1. श्री दुर्गालाल राजोरा : अधिवक्ता प्रार्थीगण

:::- निर्णय -:::

दिनांक : 12-08-2025

वकील मय प्रार्थीगण ने एक राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956, के तहत विरुद्ध विपक्षीगण इस आशय का पेश किया कि ग्राम शाहपुरा प0ह0 शाहपुरा भू0अ0निरीक्षक शाहपुरा तहसील शाहपुरा की सीमा में खसरा नम्बर 1740 रकबा 0.30 है0, 2055 रकबा 0.40 है0, 2059 रकबा 0.52 है0, 2060 रकबा 0.26 है0, 2064 रकबा 0.32 है0, 2065 रकबा 0.04 है0, 9755/2054 रकबा 0.12 है0 कुल किता 7 रकबा 1.96 है0 कृषि भूमि प्रार्थीगण की संयुक्त खातेदार की स्थित है। उक्त वर्णित आराजियात की चारों दिशाओं के विपक्षीगण पड़ोसी है जो आये दिन फसल काश्त करते समय व फसल काटते समय एवं मेड़ों की घास काटते समय मौके पर सीमा को लेकर विवाद करते है। उक्त आराजियात पर हकाई कटाई करते समय दिनांक 01.04.2024 को विपक्षीगण द्वारा सीमा को लेकर विवाद किया गया। इस प्रकार प्रार्थीगण एवं विपक्षीगण के मध्य कृषि भूमि की सीमा का विवाद है। इसलिए प्रार्थीगण की उक्त वर्णित संयुक्त खातेदारी की भूमि का सीमाज्ञान कर नापचौप कर पत्थरगढी कर करवाये जाने बाबत श्रीमानजी के समक्ष सादर पेश है। अतः ग्राम शाहपुरा प0ह0 शाहपुरा भू0अ0निरीक्षक शाहपुरा तहसील


उपखण्ड अधिकारी
एवं सहायक कलेक्टर
शाहपुरा, जिला- भीलवाड़ा (राज.)

शाहपुरा की उक्त वर्णित वादग्रस्त कृषि भूमि किता 7 रकबा 1.96 है0 की चारों सीमाओं की पुख्ता जानकारी करते हुए चारों सीमाओं पर पुख्ता निशानात पत्थर लगाये जाकर पत्थरगढी कराये जाने हेतु न्यायहित में आदेश फरमावें।

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर किया गया। विपक्षीगण को वास्ते जवाब प्रार्थना पत्र तलब किया गया। अप्रार्थीगण सं. 1, 3 से 8 बावजूद सम्मन सूचना अनुपस्थित रहने से उनके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही की गयी तथा विपक्षीगण सं. 2 के विरुद्ध अभिभाषक प्रार्थीगण द्वारा कोई कार्यवाही नहीं चाहने से उनके विरुद्ध कार्यवाही ड्रॉप की गयी।

आज दिनांक 12-08-2025 को अभिभाषक प्रार्थीगण की बहस सुनी गयी एवं पत्रावली और उस पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहन अवलोकन करते हुए संगत विधिक प्रावधानों पर गौर किया, जमाबंदी संवत् 2076 से 2079 ग्राम शाहपुरा प0ह0 शाहपुरा भू0अ0निरीक्षक शाहपुरा तहसील शाहपुरा के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि प्रार्थीगण वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 1740 रकबा 0.30 है0, 2055 रकबा 0.40 है0, 2059 रकबा 0.52 है0, 2060 रकबा 0.26 है0, 2064 रकबा 0.32 है0, 2065 रकबा 0.04 है0, 9755/2054 रकबा 0.12 है0 कुल किता 7 रकबा 1.96 है0 के अभिलिखित संयुक्त खातेदार है। प्रत्येक खातेदार का यह अधिकार है कि उसे अपनी खातेदारी आराजी की सीमाओं का ज्ञान हो, व इस हेतु सीमांकन करवा सके एवं सीमाओं का सीमाचिन्ह लगवा सके ताकि वह अपने खातेदारी अधिकारों का स्वतंत्रता से उपभोग एवं उपयोग कर सके। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए तहसीलदार शाहपुरा को प्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी की उक्त वर्णित आराजियात का समयानुसार सीमाज्ञान करवाते हुए प्रार्थीगण के खर्चे पर प्रार्थीगण की आराजी की पत्थरगढी करवाने का निर्देश प्रदान करना विधिसंगत एवं उचित समझती हूँ।

—::आदेश::—

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण अंतर्गत धारा 128, राजस्थान भू राजस्व अधि. 1956 भलिभाति साबित होने एवं सारवान होने से स्वीकार किया जाता है तहसीलदार, शाहपुरा को निर्देश प्रदान किए जाते हैं कि वे धारा 111 एवं 128 राजस्थान भू राजस्व अधि. 1956 के प्रावधानों का अनुपालन करते हुए प्रार्थीगण की संयुक्त खातेदार आराजी ग्राम शाहपुरा प0ह0 शाहपुरा भू0अ0निरीक्षक शाहपुरा तहसील शाहपुरा की सीमा में खसरा नम्बर 1740 रकबा 0.30 है0, 2055 रकबा 0.40 है0, 2059 रकबा 0.52 है0, 2060 रकबा 0.26 है0, 2064 रकबा 0.32 है0, 2065 रकबा 0.04 है0, 9755/2054 रकबा 0.12 है0 एवं इससे लगती विपक्षीगण की आराजी का मौके पर माप करवाते हुए सीमांकन करे तथा प्रार्थीगण की आराजी का प्रार्थीगण के व्यय पर मौके पर पत्थरगढी करवाए/वक्त कार्यवाही उभयपक्षकारान मौके पर उपस्थित रहे। तहसीलदार उभयपक्षकारान मौके पर उपस्थित रहे। तहसीलदार, शाहपुरा को पालनार्थ तहरीर जारी हो। पत्रावली इसी मुताबिक निर्णित होकर संख्या से एक कम होकर दफतर दाखिल हो।

निर्णय आज दिनांक 12-08-2025 को सरे इजलास सुनाया गया



प्रतिलिपि तहसीलदार शाहपुरा के पास भेजकर लेख है कि मुताबिक आदेश पक्षकारान की मौजूदगी में नियमानुसार पत्थरगढी की जाकर पालना रिपोर्ट शीघ्र भिजावें।

(सुनील कुमार मीणा)
सहायक कलेक्टर एवं
पदेन उपखण्ड अधिकारी
शाहपुरा जिला शाहपुरा

सहायक कलेक्टर एवं
पदेन उपखण्ड अधिकारी
शाहपुरा जिला शाहपुरा